संख्याः 2/2016 /जी-1-208/दस-2016-208(1)/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

विषय:- राजकीय विभागों में कार्यरत अवर अभियंता के पद पर रू0 400/- प्रतिमाह विशेष भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के राजकीय विभागों में कार्यरत अवर अभियंता के पद पर उनके गुरूतर दायित्व, दुरूह कार्य प्रकृति एवं पदोन्नति के पदों की उपलब्धता में कमी के कारण उनकी सेवा में आये ठहराव को देखते हुये राज्य के सभी श्रेणी के अवर अभियंता पदों पर शासनादेश निर्गत करने की तिथि से रू0 400/- प्रतिमाह विशेष भत्ता अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसे वेतन का भाग नहीं माना जायेगा।

2. आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्णय के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव

संख्या- 2/2016 /जी-1-208(1)/दस-2016-208(1)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।